



2026:AHC:17240

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 46096 सन् 2025

उमेश

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: राकेश कुमार उपाध्याय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- प्रस्तुत प्रकरण में पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देने एवं इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन नहीं रह जाता। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित अनुभव करे, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
- याचीगण ने प्रस्तुत याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, तहसीलदार, तहसील एवं जिला देवरिया को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या आरएसटी/02652/2021, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202105200102652 को शीघ्रता से निर्णीत करें।
- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर एक आवेदन दीर्घकाल से लंबित है। इस अवसर पर उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को उल्लिखित करना उचित एवं समीचीन होगा, जो यह अधिदेशित करता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकरण को उसे विधि के अनुसार समयबद्ध रूप से निस्तारित करना होगा। उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(7). तहसीलदार, वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर, दाखिल-खारिज के अविवादास्पद प्रकरण का और 90 दिनों की अवधि के भीतर विवादास्पद दाखिल-खारिज प्रकरण का निर्णय करने का प्रयास करेगा तथा यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो उसका कारण अभिलिखित किया जाएगा।"

5. उक्त उपबंध को दृष्टिगत रखते हुए तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के आलोक में, प्राधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त आवेदन को अपने गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः तीन माह के भीतर, निस्तारित करें, परंतु जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

6. उपरोक्त अवलोकनों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।